न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—96 / 18 (2018 / 00194) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—राजीदेवी पत्नि रामचन्द्र वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1 / 1—गोपाल पिता रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 2—कौशल्या देवी पुत्री रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 3—कमलेश पिता रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 4—जमना पुत्री रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 5—श्रवणकुमार पिता रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—हीरालाल पिता लेहरूलाल जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—बद्रीलाल पिता मदनलाल नुवाल निवासी रायपुर हाल किसान नगर, सेक्टर 26 मकान नम्बर 650 / 1 गांधीनगर गुजरात
3—बंशीलाल पिता मदनलाल नुवाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—कन्हैयालाल पिता मदनलाल नुवाल निवासी रायपुर हाल पावागढ़ एस.टी. केन्टीन ताल्लुका हालोल जिला पांचमहाल गुजरात
5—गोटीलाल पिता मदनलाल नुवाल निवासी रायपुर हाल किसान नगर, सेक्टर 26, मकान नम्बर 650 / 1 गांधीनगर गुजरात
6—घीसी बेगम पत्नि आजाद खां पठान मुसलमान निवासी रायपुर तह. रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 02.09.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3063 रकबा 0.32 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजी में संज, बैल, गाड़ी पैदल, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता रायपुर की आराजी संख्या 3339 से होकर विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 3062 की दक्षिणी पाली पर होते हुए मौजुद था जिसको विपक्षी संख्या 1 ने पूर्व में बन्द कर दिया जिसकी जगह पर पत्थरो पर चारदिवारी करवा दी और मौके पर रास्ता विपक्षी संख्या 1 ने बन्द कर दिया जिससे आवागमन बन्द हो गया। प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र ग्राम पचायत रायपुर में प्रस्तुत किया जिस पर विपक्षी संख्या 1 ने 7 फीट चौड़ा रास्ता छोड़कर पुनः दीवार करवा दी किन्तु उक्त रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही होने से विपक्षी आये दिन बन्द करने की धमकी देता है। विपक्षी संख्या 1 की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 18:12:29 IST
Reason: SelfAttested

में 7 फीट चौड़ाई में तो रास्ता है परन्तु ट्रेक्टर बैलगाड़ी से आवागमन नही हो सकता जिससे प्रार्थीया उक्त रास्ते को 15 फीट चौड़ा करवाना चाहती है। प्रार्थीया ने इस हेतु विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 व 6 की आराजी संख्या 3060 में उत्तरी पाली पर इस रास्ते करने हेतु करीबन 8 से 9 फीट चौड़ाई में भूमि रास्ते के रूप में दर्ज कराने हेतु व रास्ता देने हेतु विपक्षीगण को दिनांक 02.08.2018 को कहा तो विपक्षीगण ने कहा कि जो रास्ता मौके पर है उससे ज्यादा रास्ता नही देंगे। इस पर प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की आराजी संख्या 3063 में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने हेतु विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 3062 की दक्षिणी पाली एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 की आराजी संख्या 3061 की उत्तरी पाली एवं विपक्षी संख्या 6 की आराजी संख्या 3060 की उत्तरी पाली के मध्य 15 फीट चौड़ाई में रास्ता बिलानाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने एवं उसे सदैव खुला रखाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 23.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 4 लगायत 6 बावजुद सूचना उपस्थित नही होने एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विपक्षी संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित होकर रास्ता देने में कोई आपत्ति जाहिर नही की।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि प्रार्थीया राजीदेवी पत्नि रामचन्द्र वैष्णव की भूमि की आराजी नम्बर 3063 रकबा 0.32 है0 भूमि पर आवागमन आराजी नम्बर 3399 रकबा 0.04 है0 खातेदारी जो नक्शे में रास्ता बना होकर मौके पर रास्ता बना हुआ है एवं चालु है। प्रार्थीगण भूमि में उपरोक्त रास्ते से में होकर प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी संख्या 3062 की दक्षिणी पाली पर मौके पर 7—8 फीट चौड़ा रास्ता खुला है जिसमें से आवागमन हो रहा है। ट्रेक्टर ट्राली का रास्ता अवरूद्व है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य सुसंगत रास्ता नही है। वर्तमान में उक्त आराजी पर उल्लेख्ति रास्ते से ही आवागमन किया जा रहा है। उक्त रास्ते में आराजी नम्बर 3062 रकबा 0.36 है0 हीरालाल / लेहरूजाट सा. देह मे से 50 वर्गमीटर व आराजी नम्बर 3061 रकबा 0.24 है0 खातेदार बद्रीलाल महाजन वगैरहा मे से रकबा 50 वर्गमीटर 15 फीट चौड़ाई में रास्ता प्रस्तावित किया गया है आराजी नम्बर 3062 सिंचित पास डीएलसी दर 173304 प्रति बीघा से 50 वर्गमीटर की राशि 8020 रूपये व आराजी संख्या 3061 असिंचित पास डीएलसी दर 69408 रूपये प्रति बीघा से रकबा 50 वर्गमीटर की 3212 रूपये राशि बनती है जो प्रतिवादी को भुगतान किया जाना है। वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीया की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारीसान गोपाल, कमलेश, श्रवणकुमार पुत्र व कौशल्या, जमना, पुत्रीया है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 18:12:29 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थी वर्तमान में जिस जगह रास्ते का उपयोग कर रहा है वह खसरा नम्बर 3062 व 3061 के मध्य की भूमि से होकर आवागमन हो रहा है जिसका प्रति खसरा नम्बर 50 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की है। इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता सुसगंत उपलब्ध नही होना मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है ऐसी स्थिति में प्रस्तावित रकबे को रास्ते हेतु दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु खातेदार हीरालाल पिता लेहरूजाट सा. देह की आराजी नम्बर 3062 रकबा 0.36 है0 मे से 50 वर्गमीटर की व आराजी नम्बर 3061 रकबा 0.24 है0 खातेदार बद्रीलाल महाजन वगैरहा मे से रकबा 50 वर्गमीटर भूमि से आवागमन होने से उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि आराजी नम्बर 3062 जो चाही होने से डीएलसी दर 173304 प्रति बीघा की दर से 50 वर्गमीटर भूमि की किमत 4010 रूपये की दुगुनी मुआवजा राशि 8020 रूपये एवं आराजी नम्बर 3061 जो असिचिंत होने से डीएलसी दर 64948 रूपये प्रति बीघा की दर से 50 वर्गमीटर भूमि की किमत 1606 रूपये की दुगुनी मुआवजा राशि 3216 रूपये का भुगतान सम्बधित खातेदार को करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.9.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 18:12:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—96 / 18 (2018 / 00194) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—राजीदेवी पत्नि रामचन्द्र वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1 / 1—गोपाल पिता रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 2—कौशल्या देवी पुत्री रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 3—कमलेश पिता रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 4—जमना पुत्री रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 5—श्रवणकुमार पिता रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—हीरालाल पिता लेहरूलाल जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—बद्रीलाल पिता मदनलाल नुवाल निवासी रायपुर हाल किसान नगर, सेक्टर 26 मकान नम्बर 650 / 1 गांधीनगर गुजरात
3—बंशीलाल पिता मदनलाल नुवाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—कन्हैयालाल पिता मदनलाल नुवाल निवासी रायपुर हाल पावागढ़ एस.टी. केन्टीन ताल्लुका हालोल जिला पांचमहाल गुजरात
5—गोटीलाल पिता मदनलाल नुवाल निवासी रायपुर हाल किसान नगर, सेक्टर 26, मकान नम्बर 650 / 1 गांधीनगर गुजरात
6—घीसी बेगम पत्नि आजाद खां पठान मुसलमान निवासी रायपुर तह. रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए भू राजस्व अधिनियम
प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु खातेदार हीरालाल पिता लेहरूजाट सा. देह की आराजी नम्बर 3062 रकबा 0.36 है0 मे से 50 वर्गमीटर की व आराजी नम्बर 3061 रकबा 0.24 है0 खातेदार बद्रीलाल महाजन वगैरहा मे से रकबा 50 वर्गमीटर भूमि से आवागमन होने से उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि आराजी नम्बर 3062 जो चाही होने से डीएलसी दर 173304 प्रति बीघा की दर से 50 वर्गमीटर भूमि की किमत 4010 रूपये की दुगुनी मुआवजा राशि 8020 रूपये एवं आराजी नम्बर 3061 जो असिचिंत होने से डीएलसी दर 64948 रूपये प्रति बीघा की दर से 50 वर्गमीटर भूमि की किमत 1606 रूपये की दुगुनी मुआवजा राशि 3216 रूपये का भुगतान सम्बधित खातेदार को करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 02.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 18:12:29 IST
Reason: SelfAttested